उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा/ 203 /2023–24 दिनांक: 21 जुलाई, 2023

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृहविज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की लिखित परीक्षा प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 08–08–2021 (रविवार) को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई।

अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक एल0टी0 के संबंध मे आयोग द्वारा पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों की विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित की गई संस्तुतियों के उपरान्त उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर 60 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत अवशेष पदों के सापेक्ष हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, वाणिज्य, संगीत, गृहविज्ञान, उर्दू एवं पंजाबी विषय में चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या–204 दिनांक 20 जुलाई, 2023 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। उपरोक्त विषयों में चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 26 जुलाई, 2023 से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग कार्यालय में किया जायेगा। विषयवार जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर अपलोड है।

अतः समस्त औपबन्धिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. विषयवार जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद/विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 06 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **निर्धारित तिथियों** को **प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता/प्रशिक्षण अर्हता के अन्तर्गत अभ्यर्थी की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/बी0एड0/टी0ई0टी0 की समस्त वर्षों/समस्त सैमेस्टर सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि व आरक्षण एवं स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
4. आयोग की वेबसाइट पर **संवाद संख्या–79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र** संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
5. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध मे यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
6. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय

में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

7. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

सहायक अध्यापक (एल0टी0) भर्ती परीक्षा का अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम

क्र0 सं0	विषय	शाखा/प्रतिशत	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम	
			श्रेणी क्रमांक	अभिलेख सत्यापन तिथि
1	उर्दू	सामान्य शाखा 60%	1	26–07–2023 (बुद्धवार)
2	विज्ञान	सामान्य शाखा 60%	1 से 27 तक	
		महिला शाखा 60%	1 से 6 तक	
		सामान्य शाखा 10%	1 से 5 तक	
3	संस्कृत	सामान्य शाखा 60%	1 से 4 तक	
		महिला शाखा 60%	1 से 2 तक	
4	पंजाबी	सामान्य शाखा 60%	1	
5	व्यायाम	सामान्य शाखा 60%	1 से 17 तक	
		महिला शाखा 60%	1 से 4 तक	
		सामान्य शाखा 10%	1 से 3 तक	
6	संगीत	सामान्य शाखा 60%	1	
7	गणित	सामान्य शाखा 60%	1 से 9 तक	
		सामान्य शाखा 60%	10 से 23 तक	27–07–2023 (वृहस्पतिवार)
		महिला शाखा 60%	1 से 11 तक	
		सामान्य शाखा 10%	1	
		महिला शाखा 10%	1	
8	गृह विज्ञान	सामान्य शाखा 60%	1 से 3 तक	
		महिला शाखा 60%	1	
9	हिन्दी	सामान्य शाखा 60%	1 से 49 तक	
		सामान्य शाखा 60%	50 से 58 तक	28–07–2023 (शुक्रवार)
		महिला शाखा 60%	1 से 4 तक	
		सामान्य शाखा 10%	1 से 4 तक	
		महिला शाखा 10%	1 से 3 तक	
10	सामान्य	सामान्य शाखा 60%	1 से 7 तक	
		महिला शाखा 60%	1 से 3 तक	
		सामान्य शाखा 10%	1	
		महिला शाखा 10%	1	
11	अंग्रेजी	सामान्य शाखा 60%	1 से 29 तक	
		महिला शाखा 60%	1 से 4 तक	
		महिला शाखा 10%	1 से 2 तक	
12	वाणिज्य	सामान्य शाखा 60%	1	

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।